

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

विशेष सत्र प्रकरण कमांक-190/15 (डकैती)

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 10.08.15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म.प्र.)अभियोगी

बनाम

1. पुष्पेन्द्र सिंह बैस पुत्र ओमकार सिंह बैस आयु 34 वर्ष निवासी ग्राम कामेत, थाना बड़पुरा, जिला इटावा उ0प्र0
2. अमित सिंह बैस उर्फ भूपेन्द्र उर्फ भूपा पुत्र राजबहादुर सिंह बैस आयु 35 वर्ष निवासी कामेत, थाना बहपुरा, जिला इटावा उ0प्र0
3. राहुल वर्मा उर्फ कबूतरे पुत्र लल्लू वर्मा आयु 25 वर्ष निवासी मोहल्ला पूरबिया टोला, थाना कोतवाली, जिला इटावा उ0प्र0
4. लाला उर्फ अवजीत वर्मा उर्फ अभिजीत पुत्र जितेन्द्र वर्मा आयु 25 वर्ष निवासी मकान नंबर 47 पूरबिया टोला थाना कोतवाली इटावा, जिला इटावा उ0प्र0उप0 अभियुक्तगण
5. शैलेन्द्र सिंह पुत्र भारत सिंह यादव आयु 35 वर्ष निवासी खेडापति कॉलोनी पुलिस थाना इकदिल जिला इटावा उ0प्र0 फरार अभियुक्त

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण भूपेन्द्र उर्फ अमित, अवजीत, राहुल एवं पुष्पेन्द्र द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता उप0।

//निर्णय//

(आज दिनांक 31.01.2018 को घोषित)

1. सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-392 सहपठित 397 एवं 34 तथा सहपठित 11 एवं 13 म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत तथा अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि दिनांक 02.03.15 को दिन के 11 बजे के लगभग हाइवे रोड फरियादी उमेश की दुकान के सामने अंतर्गत थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अभियुक्तगण ने मिलकर डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए फरियादी उमेश की मारुति अर्टिगा नंबर एम.पी.-30-सी.-2384 एवं फरियादी उमेश एवं जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र के आधिपत्य से इन्टेक्स कंपनी का मोबाइल, सोनी एक्सपीरिया मोबाइल, सैमसंग कंपनी का मोबाइल, पर्स, ड्रायविंग लाइसेंस, आयकर कार्ड, वोटर कार्ड आदि की लूट कट्टा अड़ाकर कारित की एवं पुष्पेन्द्र ने उक्त दिनांक 02.03.15 को तथा दिनांक 16.04.15 को 32 बोर की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखे।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया घटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2000/पी(1)दो भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।
3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 02.03.15 को फरियादी उमेश सिंह दिन के लगभग 11 बजे अपनी सब्जी की दुकान स्थित गोहद चौराहा पर मौजूद था तथा वहीं पर उसकी अर्टिगा कार क्रमांक एम.पी.-30-सी.-2384 खड़ी थी, उसी समय एक व्यक्ति ने 3,500/-रुपए में कानपुर ले जाने के लिए अर्टिगा कार को ले जाना तय किया और स्वयं को क्राइम ब्रांच का अधिकारी होना बताया। उस कार में उमेश ने अपने दोस्त जोगेन्द्र को साथ लिया। 04:00 बजे दिन में फूफ टोल पर पहुंचा तथा इटावा से नेशनल हाइवे होते हुए कानपुर की तरफ हाइवे के बगल में बने न्यू कुनाल रेस्टोरेंट पर, जो बकेवर के पास है, वहां तीनों ने खाना खाया आगे चलकर दो लड़के और मिले तब उस व्यक्ति ने उन दोनों लड़कों को भी गाड़ी में बिठा लिया, फफूंद स्टेशन पर पहुंच कर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवा कर उमेश व जोगेन्द्र को गाड़ी में छोड़कर चले गए। 45 मिनट बाद वे तीनों वापिस आ गए और हनुमंतपुरा चकरनगर होते हुए वापिस आ रहे थे तथा रेस्टोरेंट पर चाय भी पी। भदापुरा के पास उस अभियुक्त ने गाड़ी रूकवाकर उमेश व जोगेन्द्र को

पिस्टल अड़ाकर गाड़ी से उतार दिया तथा गाड़ी, इंटेक्स कंपनी का मोबाइल, उमेश का पर्स जिसमें ड्रायविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आयकर कार्ड तथा जोगेन्द्र का आयकर कार्ड छीन लिए। योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र का सोनी एक्सपीरिया कंपनी का मोबाइल, सैमसंग कंपनी का मोबाइल लूट लिया तथा उसी गाड़ी से भाग गए। उक्त घटना की रिपोर्ट उमेश के द्वारा थाना गोहद चौराहे पर दूसरे दिन दिनांक 03.03.15 को प्र0पी0-29 के रूप में की गई।

4. दौराने अनुसंधान उसी दिनांक को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-30 बनाया गया। दिनांक 03.03.2005 को उमेश सिंह का प्र0पी0-31 का एवं जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र सिंह का प्र0पी0-34 का कथन लिया गया। दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आए कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राहुल, शैलेन्द्र सिंह एवं लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत ने कार एवं उक्त सामान की लूट करने की योजना बनाई थी। जिसके तहत पुष्पेन्द्र ने उक्त गाड़ी किराए से उमेश से ली थी तथा पुष्पेन्द्र ने पिस्टल अड़ाकर उमेश व योगेन्द्र को नीचे उतार कर उपरोक्त कार एवं सामग्री की लूट कारित की तथा उक्त कार को शैलेन्द्र यादव एवं लाला उर्फ अभिजीत को डेढ लाख रूपए में विक्रय कर दिया तथा लूटे गए मोबाइल एवं अपने मोबाइल चंबल नदी में फेंक दिए। दौराने अनुसंधान दिनांक 19.03.15 को सोनपाल सिंह एवं डॉ0 बलवीर सिंह के प्र0पी0-27 एवं 28 के पुलिस कथन लिए गए। दिनांक 24.03.15 को अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, अमित एवं राहुल की छायाचित्र से पहचान कराई गई, जिसका पहचान पंचनामा प्र0पी0-21 है। अभियुक्तगण के छायाचित्र प्र0पी0-33 है। पेपर कटिंग आर्टीकल ए है।

5. दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, अमित एवं राहुल वर्मा को दिनांक 15.04.2015 को प्र0पी0-01 लगायत 03 के गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पुष्पेन्द्र के दिनांक 16.04.15 को प्र0पी0-11, 19.04.15 को प्र0पी0-14 एवं दिनांक 20.04.15 को प्र0पी0-09 के मेमोरेण्डम कथन लिए गए। अभियुक्त भूपेन्द्र बैस के दिनांक 16.04.15 को प्र0पी0-12, दिनांक 19.04.15 को प्र0पी0-15 एवं दिनांक 20.04.15 को प्र0पी0-08 के मेमोरेण्डम कथन लिए गए। अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे के दिनांक 16.04.15 को प्र0पी0-13, दिनांक 19.04.15 को प्र0पी0-16 एवं दिनांक 20.04.15 को प्र0पी0-10 के मेमोरेण्डम कथन लिए गए। दिनांक 16.04.15 को पुष्पेन्द्र के आधिपत्य से एक पिस्टल 32 बोर की, दो जिंदा राउण्ड 32 बोर के तथा एक पर्स काले रंग का, जिसके अंदर उमेश सिंह का मूल ड्रायविंग लाइसेंस एवं कार का रजिस्ट्रेशन था, जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-04 बनाया गया एवं दिनांक 19.04.15 को भूपेन्द्र के आधिपत्य से एक काले रंग का रेग्जीन का इस्तेमाली पर्स जिसमें उमेश का आयकर कार्ड एवं योगेश का आयकर कार्ड था, जप्त कर प्र0पी0-05 का जप्ती

पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे से दिनांक 19.04.15 को योगेन्द्र का वोटरकार्ड जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-06 बनाया गया।

6. दौराने अनुसंधान दिनांक 24.04.15 को अभियुक्त पुष्पेन्द्र, अमित, एवं राहुल की उपजेल गोहद में शिनाख्ती कार्यवाही कराई गई, जिसका शिनाख्ती मेमो प्र0पी0-23, 24 एवं 25 है। पुष्पेन्द्र से जप्तशुदा पिस्टल एवं दो राउण्ड को जांच हेतु भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-22 है। प्र0पी0-26 के अनुसार पुष्पेन्द्र के विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। दिनांक 01.05.15 को उमेश एवं जोगेन्द्र के द्वारा पर्स पहचान की कार्यवाही प्राथमिक कन्या शाला भवन गोहद चौराहे में कराई गई, जो प्र0पी0-32 है। दिनांक 16.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-35 बनाया गया। दिनांक 17.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र का प्र0पी0-17 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। दिनांक 17.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र के आधिपत्य से अर्टिगा वाहन की खरीदी बिल प्रेम मोटर्स प्रा0 लि0 का तथा एक बीमा पत्रक जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-07 बनाया गया। दिनांक 24.11.15 एवं 26.11.15 को अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत के प्र0पी0-18 एवं 19 के मेमोरेण्डम कथन लिए गए। जिसके आधार पर दिनांक 27.11.15 को अभियुक्त लाला उर्फ अभिजीत के बताए अनुसार विनय शर्मा के गैरिज हमीरपुर रोड थाना नौबस्ता जिला कानपुर से एक अर्टिगा कार सुजुकी कंपनी की जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-20 बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियोगपत्र उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

7. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढकर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया ओर विचारण की मांग की। धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

8. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 02.03.15 को दिन के लगभग 11:00 बजे फरियादी उमेश की दुकान के सामने अंतर्गत थाना गोहद चौराहे भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए, पिस्टल अड़ाकर फरियादी उमेश एवं जोगेन्द्र के आधिपत्य से मारुती अर्टिगा कार क्रमांक एम.पी.-30-सी-2384 एवं मोबाइल, पर्स, आयकर कार्ड, वोटरकार्ड, एवं रजिस्ट्रेशन आदि की लूट कारित की गई।

2. क्या अभियुक्तगण के आधिपत्य से मारुती अर्टिगा कार , मोबाइल, पर्स, आयकर कार्ड, वोटरकार्ड, एवं रजिस्ट्रेशन जप्त किए गए ?
3. क्या उक्त लूट की गई सामग्री और सामान वहीं है जो अभियुक्तगण से जप्त किया गया है ?
4. क्या उक्त लूट अभियुक्तगण के द्वारा कारित की गई ?
5. क्या पुष्पेन्द्र ने उक्त दिनांक 02.03.15 को तथा दिनांक 16.04.15 को 32 बोर की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखे।
6. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

9. फरियादी उमेश कुशवाह अ0सा0-10 ने यह बताया है कि दिनांक 03.03.15 को दिन के 11:00 बजे के लगभग उसकी गोहद चौराहे स्थित दुकान पर एक व्यक्ति आया और उसकी गाड़ी अर्टिगा मारुती सुजुकी क्रमांक एम.पी.-30-सी.-2384 को किराए से औरैया ले जाने को कहा तब उसका 3,500/-रूपए भाड़ा तय करके वह और उसका मित्र जोगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र अपनी उक्त कार से औरैया को निकले थे, वे कुल तीन लोग थे, रास्ते में इटावा के आगे नेशनल हाइवे पर कुणाल ढाबे पर सबने खाना खाया, उस व्यक्ति, जो कि किराए से कार लेकर गया था, का कार्य हो जाने के पर वह, जोगेन्द्र और यह साक्षी अपने कार से वापिस घर के लिए आ रहे थे।
10. उमेश कुशवाह अ0सा0-10 ने यह भी बताया है कि रास्ते में होटल पर चाय पी तथा उसी समय उसे व जोगेन्द्र को नींद सी आने लगी थी। फिर वे लोग उसी होटल पर सो गए, लगभग एक घंटे बाद वह व जोगेन्द्र जागे तो देखा कि वहां पर गाड़ी नहीं थी। जिसकी जानकारी उसने अपने घर वालों को राहगीर के फोन से दी थी। रात्रि 9:00-10:00 बजे के बीच घर वाले उसके पिता सोनपाल सिंह व भाई पहुंच गया था और वह बेहोश भी हो गया था। उसने घर वालों ने किसी अस्पताल में उसका इलाज कराया था। उसने पुलिस थाना गोहद चौराहे पर घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-29 की थी। इस प्रकार घटना के प्रमुख साक्षी ने अभियोजन के अनुसार घटना की पुष्टि नहीं की है, केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि उक्त उसकी उक्त अर्टिगा कार की चोरी हो गई थी। मुख्यपरीक्षण में उसने यह साक्ष्य नहीं दी है कि तीन व्यक्तियों के द्वारा कट्टा या पिस्टल अडाकर उसकी अर्टिगा कार, मोबाइल, पर्स एवं जोगेन्द्र के मोबाइल आदि की लूट की गई थी।

11. उमेश कुशवाह अ0सा0-10 को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और अभियोजन की ओर से दिए जाने वाले सुझावों से उसने इन्कार किया है, विशेष तौर पर इस तथ्य से इन्कार किया है कि पिस्टल अड़ाकर उसे व जोगेन्द्र को नीचे उतार दिया और तीनों व्यक्ति उनकी गाड़ी छुड़ा कर भाग गए थे। इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसका व जोगेन्द्र का मोबाइल छीन लिया गया था। उसने प्र0पी0-29 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बी से बी भाग की बात अर्थात् लगभग संपूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाया जाना व्यक्त किया है। प्र0पी0-31 की ए से ए भाग का कथन भी पुलिस को न देना व्यक्त किया है। **प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 केवल यह स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी लूटी जाने के समय उसका एक रेग्जीन का काले रंग का इस्तेमाली पर्स भी गाड़ी में रखा था, जिसे भी बदमाश गाड़ी के साथ लूट कर ले गए थे।** प्र0पी0-44 के आवेदन के संबंध में इन्कार किया है कि दिनांक 24.03.15 को थाना गोहद चौराहे पर प्र0पी0-44 का आवेदन उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने केवल गाड़ी चले जाने के संबंध में और गाड़ी में पर्स जाने के संबंध में पुष्टि की है, अन्य किसी तथ्य की पुष्टि नहीं की है, यह घटना का प्रमुख साक्षी होकर महत्वपूर्ण साक्षी है।
12. अन्य महत्वपूर्ण साक्षी जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र सिंह ने यह बताया है कि दिनांक 02.03.15 को उमेश ने उससे कहा था कि चलो औरैया घूमकर आते हैं, तब वह उसकी गाड़ी में बैठकर चल दिया उक्त गाड़ी में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। कानपुर रोड पर नेशनल हाइवे पर सबने खाना खाया था, आगे चलने पर दूसरे लड़के मिल गए थे। रास्ते में वापिसी में एक होटल पर चाय पी थी। उसी समय उसे व उमेश को नींद सी आने लगी थी, फिर वह होटल के बाहर पड़ी चारपाई पर सो गया, करीब आधे घंटे बाद वह और उमेश जागे थे तो देखा कि गाड़ी वहां पर नहीं थी। राहगीर के फोन से खबर करने पर उमेश के पिता सोनपाल सिंह व भाई हरीश पहुंच गए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट उमेश ने थाना गोहद चौराहे पर की थी।
13. इस प्रकार अन्य प्रमुख साक्षी फरियादी के मित्र जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र सिंह अ0सा0-11 ने भी केवल गाड़ी चोरी होने के संबंध में बताया है। उसने भी नहीं बताया है कि पिस्टल या कट्टा अड़ाकर उनके साथ लूट कारित की गई थी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है क्योंकि अभियोजन के अनुसार घटना की पुष्टि नहीं की है। प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह बताया है कि **उमेश का एक रेग्जीन का काले रंग का इस्तेमाली पर्स भी गाड़ी में रखा था, जिसे बदमाश गाड़ी के साथ लूट कर ले गए थे।** इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उमेश की

अर्टिगा कार एवं उमेश का पर्स बदमाश लूट कर ले गए थे।

14. अन्य साक्षी बलवीर सिंह अ0सा0-09 अनुश्रुत साक्ष्य का साक्षी है। उसने यह बताया है कि फरियादी उमेश उसके लड़के का साला है, उमेश ने उसे फोन से बताया था कि उसकी गाड़ी तीन अज्ञात बदमाश लूट कर ले गए हैं। गाड़ी तलाश करने पर नहीं मिली थी। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। पुलिस कथन प्र0पी0-28 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाए जाने पर उसने " वहां से बकेवर.....नहीं मिले", का कथन पुलिस को नहीं देना बताया है।
15. इसी प्रकार सोनपाल अ0सा0-08, जो कि उमेश का पिता है, ने अपनी गाड़ी अर्टिगा कार क्रमांक एम.पी.-30-सी.-2384 को अपने पुत्र के द्वारा मित्र योगेन्द्र के साथ गोहद चौराहे से इटावा जाना तथा किसी के द्वारा फोन से यह बताया जाना बताया है कि उमेश के पिस्टल अड़ाकर भदाकुर के पास कुछ बदमाशों ने गाड़ी छीन ली है। जिसकी तलाश करने पर भी गाड़ी नहीं मिली थी, उसे भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। उसे पुलिस कथन प्र0पी0-27 का ए से ए भाग का कथन "जिसमे.....नहीं मिले" पढ़कर सुनाए जाने पर उक्त अंश पुलिस को नहीं लिखाया जाना बताया है। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उक्त अर्टिगा कार एवं पर्स की लूट कुछ बदमाशों ने की थी। परंतु पिस्टल अड़ाकर लूट करने के संबंध में उमेश अ0सा0-10 एवं जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने कोई तथ्य नहीं बताए हैं।
16. एम.एस. जादौन अ0सा0-13 ने दिनांक 03.03.15 को थाना गोहद चौराहे पर एस.आई. थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उमेश कुशवाह के द्वारा तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा मारुती अर्टिगा कार क्रमांक एम.पी.-30-सी.-2384, एक मोबाइल एवं नकदी पिस्टल अड़ाकर लूट लिए जाने बावत् रिपोर्ट लिखना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्र0पी0-29 की रिपोर्ट लिखने तथा अपराध पंजीबद्ध करना बताया है तथा यह भी बताया है कि उमेश की ही निशांदेही से प्र0पी0-30 का नक्शा मौका बनाया था तथा उमेश व जोगेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लिखे थे। परंतु वहीं उमेश अ0सा0-10 ने रिपोर्ट प्र0पी0-29 का ए से ए भाग, उसके पुलिस कथन प्र0पी0-31 का ए से ए भाग तथा जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने भी अपने पुलिस कथन प्र0पी0-34 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं देना बताया है।
17. एम.एस. जादौन अ0सा0-13 की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि उमेश के द्वारा अपनी अर्टिगा कार की लूट के संबंध में रिपोर्ट लिखाई गई थी। इस प्रकार इस बिन्दु पर उपरोक्त चारों साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि एम.एस. जादौन अ0सा0-13 की साक्ष्य से हो रही है। यद्यपि पिस्टल या कट्टा अड़ाकर लूट करना प्रकट और प्रमाणित

नहीं हो रहा है। परंतु तीन व्यक्तियों के द्वारा उमेश की अर्टिका कार एवं पर्स आदि लूट कर ले जाने के तथ्य प्रमाणित हो रहे हैं। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य से यह प्रकट और प्रमाणित है कि दिनांक 02.03.15 को दिन के लगभग 11:00 बजे फरियादी उमेश की दुकान के सामने अंतर्गत थाना गोहद चौराहा भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए, फरियादी उमेश एवं जोगेन्द्र के आधिपत्य से मारुती अर्टिका कार क्रमांक एम.पी.-30-सी-2384 पर्स, आयकर कार्ड, वोटरकार्ड, एवं रजिस्ट्रेशन आदि की लूट कारित की गई।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक:-2

18. ए.एस. तोमर अ0सा0-15 ने यह बताया है कि दिनांक 19.03.15 को थाना गोहद चौराहे पर ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए, अपराध क्रमांक 42/15 अर्थात् इस प्रकरण की विवेचना उसे सुपुर्द की गई थी। विवेचना के दौरान सोनपाल सिंह कुशवाह एवं बलवीर सिंह कुशवाह के कथन उनके बताए अनुसार लिखे थे। अभियुक्त पुष्पेन्द्र, अमित, एवं राहुल के संबंध में जो कि गिरफ्तार होकर फिरोजाबाद जेल उत्तर प्रदेश में दाखिल थे। पुलिस द्वारा रिमाण्ड लेकर पूछ ताछ करने पर भूपेन्द्र के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। गाडी क्रमांक एम.पी.-30-सी-2384 को अपने साथियों साथ लाला उर्फ अवजीत एवं शैलेन्द्र यादव के बेचना बताया था। पचास हजार रूपए घूमने फिरने में खर्च हो जाना तथा काले रंग का पर्स जिसमें आयकर कार्ड थे, बरामद करा देना बताया था यह भी बताया था कि गाडी खरीदने वालों के ठिकाने गोरखपुर, कानपुर, बस्ती में है, चलकर बता दूंगा। उसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-08 है। इसी आशय का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-09 पुष्पेन्द्र के द्वारा तथा राहुल उर्फ कबूतरे के द्वारा प्र0पी0-10 का मेमोरेण्डम कथन देना बताया है।
19. ए.एस. तोमर अ0सा0-15 ने यह भी बताया है कि भूपेन्द्र से पूछताछ करने पर पर्स में रखे कागजात उसके कमरे में रखे होना व चलकर बरामद कराना बताया था। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-12 है। राहुल वर्मा द्वारा कार्ड उसके घर पर पूरबिया टोला इटावा में अलमारी में रखा होना व चलकर बरामद कराना बताया था। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-13 है। दिनांक 19.04.15 को पुष्पेन्द्र से पूछताछ करने पर 32 बोर की पिस्टल तथा पर्स जिसमें लाइसेंस व गाडी का रजिस्ट्रेशन कार्ड था, जप्त करा देना तथा अवजीत तथा शैलेन्द्र यादव के पते ठिकाने गोरखपुर, कानपुर, बस्ती में होना तथा चलकर बता देना बताया है। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-14 है।
20. ए.एस. तोमर अ0सा0-15 ने यह भी बताया है कि भूपेन्द्र उर्फ अमित ने रूपए खर्च होना तथा आयकर कार्ड मकान में रखे होना व

चलकर बरामद कराना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-15 है। अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे से पूछ ताछ करने पर उसके द्वारा कार्ड उसके घर पूरबिया टोला इटावा में घर पर रखे होना व चलकर बरामद कराना बताया है। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-16 है। दिनांक 17.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र के द्वारा गाड़ी के बीमा कागजात बिल अपने मकान के बाहर वाले कमरे में रखे बक्से में छिपा कर रखना व कार लाला उर्फ अवजीत के पास होना बताया है। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-17 है। ए.एस. तोमर अ0सा0-15 के द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र, राहुल उर्फ कबूतरे एवं अमित उर्फ भूपेन्द्र के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर अभियुक्तगण लाला उर्फ अवजीत व शैलेन्द्र यादव की तलाश विवेचना के दौरान की गई थी।

21. ए.एस. तोमर अ0सा0-15 के द्वारा यह भी बताया गया है कि दिनांक 15.04.15 को उसके द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह बैस को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-01 बनाया गया था। उसी दिनांक को अमित उर्फ भूपेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया था। उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे वर्मा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया गया था। दिनांक 19.04.15 को अभियुक्त अमित उर्फ भूपेन्द्र के कब्जे से एक काले रंगे का रेग्जीन का पर्स, जिसमें उमेश का आयकर कार्ड व योगेश का आयकर कार्ड था, जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-05 बनाया था।

22. ए.एस. तोमर अ0सा0-15 ने यह बताया है कि दिनांक 16.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र यादव निवासी इकदिल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-35 बनाया था। दिनांक 23.11.15 को अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत वर्मा को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-36 बनाया था। अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत से पूछताछ के दौरान उसने गाड़ी नंबर एम.पी.-30-सी.-2384 को रेल्वे स्टेशन पार्किंग में इटावा तथा कन्नोज में गाड़ी खड़ी करना तथा चलकर बरामद कराना बताया था। जिसका मेमोरेण्डम प्र0पी0-18 है। मोहम्मद आबिद खां अ0सा0-16 ने अन्य अपराध में विवेचना करना बताया है, जिसमें अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र एवं राहुल उर्फ कबूतरे के द्वारा उनकी आर्टिगा कार के संबंध में जानकारी देना बताया है। परंतु उक्त आर्टिगा कार की लूट के संबंध में उक्त तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। जब्बार अली अ0सा0-17 ने अन्य अपराध में शैलेन्द्र के आधिपत्य से कट्टा व कारतूस जप्त करना बताया है।

23. आरक्षक मूल चन्द्र अ0सा0-01 ने ए.एस. तोमर अ0सा0-15 की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए, पुष्पेन्द्र सिंह, अमित सिंह, राहुल को ए.एस. तोमर के द्वारा गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-01 लगायत 03 बनाया जाना बताया है। इसी प्रकार उपरोक्तानुसार पुष्पेन्द्र,

भूपेन्द्र एवं राहुल के आधिपत्य से उपरोक्त सामग्री जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-04 लगायत प्र0पी0-06 बनाया जाना बताया है। उपरोक्तानुसार तीनों अभियुक्तगण ने धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम प्र0पी0-09, प्र0पी0-08, प्र0पी0-10 लगायत प्र0पी0-16 बनाया जाना और उपरोक्तानुसार जानकारी दिया जाना बताया है। इसी प्रकार दिनांक 17.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह के द्वारा प्र0पी0-17 के मेमोरेण्डम का मेमोरेण्डम दिया जाना तथा उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर दिनांक 17.06.15 को गाड़ी खरीदने के बिल तथा गाड़ी के बीमा संबंधी कागजात को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-07 ए.एस. तोमर के द्वारा बनाया जाना बताया है। मूल चन्द्र अ0सा0-01 के द्वारा दिनांक 24.11.15 को अभियुक्त अवजीत के द्वारा प्र0पी0-18 का मेमोरेण्डम उसके सामने बनाया जाना बताया है और उसके अनुसार अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत के द्वारा जानकारी दिया जाना बताया है।

24. रामबाबू सिंह यादव ने आगे की विवेचना करना बताया है तथा यह बताया है कि दिनांक 26.11.15 को थाना गोहद चौराहे पर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक अपराध क्रमांक 42/15 अंतर्गत धारा-392, 411, 414 भा0दं0सं0 एवं धारा-11/13 आयुध अधिनियम का तथा धारा-25/27 आयुध अधिनियम के अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत पुत्र जितेन्द्र वर्मा से पूछताछ करते हुए उसने अपना सामने मेमोरेण्डम कथन देते हुए बताया था कि अर्टिगा कार नंबर एम.पी.-30-सी.-2384 को वह गाड़ी कानपुर शहर में एक दीवार में टकरा गई थी, जो चलने की स्थिति में न होने से कानपुर के पेंटर विनय शर्मा के गैरिज पर खड़ी कर दी है, जिसे चलकर बरामद कराए देता हूं। उक्त मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-19 है। आरक्षक मूल चन्द्र अ0सा0-01 ने भी उक्त तथ्य की पुष्टि है और अपने सामने प्र0पी0-19 का मेमोरेण्डम अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत के द्वारा दिया जाना बताया है।

25. रामबाबू सिंह यादव अ0सा0-18 ने यह बताया है कि अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत के उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत को साथ लेकर कानपुर विनय शर्मा के गैरिज पर पहुंचा जहां से अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत को बताए जाने पर एक कार अर्टिगा सुजुकी कंपनी की जिस पर तत्समय यू.पी.-79-एच-3785 नंबर लिखा था। जिसका इंजन नंबर डीआई3ए5088231 तथा चेसिस नंबर एमए3एफएलई81500278987 लिखा था, जो सफेद रंग की थी उक्त गाड़ी का मूल रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.-30-सी.-2384 को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-20 बनाया था। इस तथ्य की पुष्टि भी मूल चन्द्र अ0सा0-01 ने करते हुए, अपने सामने उक्त वाहन जप्त होना बताया है और उसके सामने जप्तीपंचनामा प्र0पी0-20 दरोगा जी आर. बी.एस. यादव द्वारा बनाया जाना बताया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

26. इसी प्रकार जितेन्द्र सिंह अ0सा0-12 ने ही थाना गोहद चौराहे में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-18, प्र0पी0-19 की पुष्टि की है। इसी प्रकार गोपसिंह अ0सा0-06 ने भूपेन्द्र बैस का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-08, पुष्पेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-09, राहुल उर्फ कबूतरे के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-10, पुष्पेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-11, भूपेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0-12, राहुल उर्फ कबूतरे के मेमोरेण्डम प्र0पी0-13 पुष्पेन्द्र का प्र0पी0-14, भूपेन्द्र सिंह के मेमोरेण्डम प्र0पी0-15 एवं राहुल उर्फ कबूतरे के मेमोरेण्डम प्र0पी0-16 की पुष्टि की है।
27. ए.एस. तोमर अ0सा0-15 वह विवेचना अधिकारी है, जिन्होंने पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र, राहुल की गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही की है तथा शैलेन्द्र के मेमोरेण्डम प्र0पी0-17, लाला उर्फ अवजीत की गिरफ्तारी प्र0पी0-36 एवं अवजीत का मेमोरेण्डम प्र0पी0-18 की कार्यवाही की है। ए.एस. तोमर अ0सा0-15 के प्रतिपरीक्षण के पैरा-18, 22 एवं 23 में अभियुक्तगण की ओर से सुझाव देने पर उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त शैलेन्द्र से प्र0पी0-07 के जप्तीपत्रक मुताबिक जो अर्टिगा कार की खरीदी का बिल व बीमा पत्रक के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा बताए है, उनका आरोपी को कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। उमेश व योगेश के पेन कार्ड अभियुक्त अमित उर्फ भूपेन्द्र तथा राहुल उर्फ कबूतरे के किसी उपयोग के नहीं थे।
28. इस मामले में उपरोक्त सामग्री के साथ साथ अर्टिगा कार की भी जप्ती हुई है। फरियादी उमेश अ0सा0-10 एवं जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने कार के साथ पर्स भी लूटा जाना बताया है। तब भले ही गाड़ी के दस्तावेज और पर्स में रखे आयकर कार्ड आदि अभियुक्तगण के उपयोग के न हों। परंतु उससे यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि वाहन के साथ साथ सामग्री की भी लूट कारित की गई थी, जो कि घटनाक्रम स्वाभाविक होने का परिचायक है। अन्य कोई ऐसे तथ्य ए.एस. तोमर अ0सा0-15 के प्रतिपरीक्षण में नहीं आए हैं। जिससे उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए।
29. रामबाबू सिंह अ0सा0-18 के प्रतिपरीक्षण पैरा-04 में पूछे जाने पर उन्होंने यह बताया है कि उनके द्वारा पुष्पेन्द्र से लाला उर्फ अवजीत एवं शैलेन्द्र के द्वारा डेढ़ लाख रूपए में कार खरीदने के दस्तावेज जप्त नहीं किए गए थे, जब किसी वाहन का क्रय विक्रय होता है तब उसकी लिखापट्टी होती है। परंतु यहां पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि उक्त अर्टिगा कार की प्लेट नंबर बदल दी गई थी। जिस पर यू.पी.-79-एच.-3785 की नंबर प्लेट लगाई गई थी। जिससे कि यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण शैलेन्द्र एवं लाला उर्फ अवजीत को यह भली भांति ज्ञात था कि उक्त कार "चुराई हुई सम्पत्ति" के रूप में है। अतः

: ऐसी स्थिति में जहां कि कोई वस्तु लूटी हुई या चुराई हुई वस्तु के रूप में हो तब उसके लिए कोई भी लिखित में कोई प्रमाणपत्र नहीं छोड़ेगा, उसका क्रय विक्रय मौखिक ही होगा। अतः क्रय विक्रय की लिखापढ़ी या दस्तावेज न होने से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और अभियोजन घटना पर भी कोई प्रभाव नहीं है। आर.बी. सिंह यादव अ0सा0-18 के प्रतिपरीक्षण में अन्य ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे कि उनकी साक्ष्य पर और उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर अविश्वास किया जावे।

30. इसी प्रकार मूलचन्द्र अ0सा0-01, गोपसिंह अ0सा0-06, जितेन्द्र सिंह अ0सा0-12 के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आए हैं, जिससे कि उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए। उन्होंने उपरोक्त दोनों विवेचना अधिकारियों की साक्ष्य की भली भांति पुष्टि की है तथा प्र0पी0-01 लगायत 20 की कार्यवाही एवं दस्तावेजों को भली भांति प्रमाणित किया है। उपरोक्त पांचों साक्षियों ने अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में संपूर्ण कार्यवाही की है, जिसमें जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त पांचों साक्षियों की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पुष्पेन्द्र के द्वारा दी गई प्र0पी0-11 की जानकारी एवं बताए गए तथ्यों के आधार पर पुष्पेन्द्र के आधिपत्य से दिनांक 16.04.15 को एक पर्स काले रंग का पुराना इस्तेमाली जिसके अंदर उमेश सिंह का मूल ड्रायविंग लाइसेंस एवं कार क्रमांक एम.पी.-30-सी.-2384 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सोनपाल सिंह कुशवाह के नाम से है, जप्त किए गए हैं। उक्त जप्ती के साथ साथ उसके पास 32 बोर की एक पिस्टल तथा दो जिंदा राउण्ड 32 बोर के भी जप्त हुए हैं।

31. इसी प्रकार भूपेन्द्र उर्फ भूपा उर्फ अमित के द्वारा दिनांक 16.04.15 को प्र0पी-12 के अनुसार दी गई जानकारी एवं बताए गए तथ्यों के आधार पर तथा दिनांक 19.04.15 को प्र0पी0-15 के मेमोरेण्डम के अनुसार दी गई जानकारी एवं बताए गए तथ्यों के आधार पर उसी दिनांक 19.04.15 को भूपेन्द्र उर्फ अमित के आधिपत्य से एक काले रंग के रेग्जीन के इस्तेमाली पर्स में आयकर कार्ड उमेश पुत्र सोनपाल तथा दूसरा आयकर कार्ड योगेश पुत्र रघुनाथ के नाम का प्र0पी0-05 के जप्ती पंचनामे से जप्त किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त काले रंग का पर्स भूपेन्द्र का है, जिसमें दो आयकर कार्ड उमेश व योगेश के नाम के हैं। इसी प्रकार राहुल उर्फ कबूतरे के द्वारा दिनांक 16.04.15 को दिए गए प्र0पी0-13 के मेमोरेण्डम के आधार पर तथा दिनांक 19.04.15 के प्र0पी0-16 के मेमोरेण्डम के अनुसार दी गई जानकारी एवं बताए गए तथ्यों के आधार पर उसी दिनांक 19.04.15 को एक वोटर कार्ड योगेश पुत्र रघुनाथ सिंह के नाम का जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-06 बनाया गया था।

32. इसी प्रकार प्र0पी0-09 का मेमोरेण्डम दिनांक 20.04.15 को पुष्पेन्द्र सिंह के द्वारा, प्र0पी0-08 का मेमोरेण्डम कथन उसी दिनांक 20.04.15 को भूपेन्द्र उर्फ अमित के द्वारा एवं प्र0पी0-10 का मेमोरेण्डम कथन अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे के द्वारा दिया गया। जिसमें यह जानकारी दी गई है कि गाड़ी खरीदने वालों के छिपने के ठिकाने गोरखपुर, कानपुर, बस्ती में है। इस प्रकार बाद के दिए गए तीनों मेमोरेण्डम प्र0पी0-08 लगायत प्र0पी0-10 के द्वारा उक्त अर्टिगा गाड़ी के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर दिनांक 17.06.15 को अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह का प्र0पी0-17 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया है, जिसमें उसने यह बताया है कि उक्त अर्टिगा कार क्रमांक एम.पी.-30-सी.-2384 के बीमा पत्रक व बिल अपने मकान के बाहर वाले कमरे में बक्से में छिपा कर रख दिए हैं, जिसके आधार पर शैलेन्द्र यादव के मकान के बाहर वाले कमरे में रखे बक्से से निकालकर पेश करने पर उक्त दस्तावेज बीमा पत्रक तथा खरीदी बिल प्र0पी0-07 के जप्ती पंचनामे से जप्त किए गए हैं।
33. इसी प्रकार अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत के द्वारा दिनांक 24.11.15 को प्र0पी0-18 के मेमोरेण्डम में उक्त अर्टिगा वाहन इटावा शहर के टैक्सी स्टेण्ड एवं रेल्वे स्टेशन की पार्किंग में तथा कन्नौज में रेल्वे स्टेशन के पास चलाना और वहीं पर गाड़ी रखना बताया था। परंतु बाद में दिनांक 26.11.15 के मेमोरेण्डम प्र0पी0-19 में उक्त अर्टिगा कार एक दीवार से टकरा जाने तथा चलने की स्थिति में न होने से डेंटर विनय शर्मा निवासी हमीर रोड कानपुर की दुकान पर मरम्मत हेतु खड़ी होना बताया है। जिसके आधार पर विनय शर्मा के गैरेज हमीर पुर रोड थाना नौबस्ता जिला कानपुर से उक्त अर्टिगा कार को जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-20 बनाया गया है। जिस पर तत्समय रजिस्ट्रेशन नंबर यू.पी.-79-एच.-3785 लिखा था, जिसका वास्तविक रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.-30-सी.-2384 जो कि इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से मिलान होने पर प्रकट है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके आधिपत्य से उपरोक्त सामग्री जप्त की गई है अर्थात् अभियुक्त पुष्पेन्द्र से एक 32 बोर की पिस्टल दो जिंदा राउण्ड, उमेश सिंह का ड्रायविंग लाइसेंस और उक्त अर्टिगा कार का रजिस्ट्रेशन, भूपेन्द्र से उमेश व योगेन्द्र का आयकर कार्ड, राहुल से योगेन्द्र का वोटर कार्ड, शैलेन्द्र से कार खरीदी बिल व बीमा पत्रक एवं लाला उर्फ अवजीत से उक्त कार जप्त किया जाना भली भांति प्रमाणित है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03:-

34. मुनेन्द्र उर्फ गुड्डू तोमर अ0सा0-14 ने यह बताया है कि कथन देने की दिनांक 21.10.16 से लगभग डेढ़ साल पहले काले रंग के एक

पर्स की पहचान पहचानकर्ता उमेश और जोगेन्द्र सिंह से उसने कराई थी। जिसमें पहचानकर्ता ने उक्त पर्स को सही पहचाना था, जिसका शिनाख्ती मेमो प्र0पी0-32 था। यह साक्षी दिसम्बर 2014 से नगर पालिका गोहद में वार्ड क्रमांक 18 में पार्षद होना बताता है। वहीं प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि उसे याद नहीं है कि पहचान के समय उमेश व जोगेन्द्र उपस्थित थे या नहीं। यह भी बताता है कि प्र0पी0-32 की कार्यवाही थाने पर कराई थी। शिनाख्ती के समय पुलिस वाले उपस्थित थे। पुलिस ने प्र0पी0-32 पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे।

35. उमेश अ0सा0-10 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में इस तथ्य से इन्कार किया है कि उसने अपने लूटे हुए पर्स की पहचान की थी। जोगेन्द्र सिंह अ0सा0-11 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में इस तथ्य से इन्कार किया है कि उसने वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद गुड्डू तोमर के सामने पर्स की पहचान की थी। परंतु उमेश अ0सा0-10 ने प्र0पी0-32 पर ए से ए भाग पर तथा जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने प्र0पी0-32 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उमेश अ0सा0-10 ने पैरा-10 में तथा जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने पैरा-06 में प्र0पी0-32 पर पुलिस के द्वार कथन पर हस्ताक्षर करा लेना बताया है।

36. एक ओर मुनेन्द्र उर्फ गुड्डू तोमर अ0सा0-14 मुख्यपरीक्षण में यह बताता है कि उसके द्वारा ही पहचान की कार्यवाही कराई गई थी और उमेश व जोगेन्द्र ने पर्स को पहचाना था। वहीं प्रतिपरीक्षण में थाने पर कार्यवाही होना बताता है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन देता है। जहां कि प्र0पी0-01 लगायत 07 के अनुसार उमेश का ड्रायविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, उमेश व जोगेन्द्र के आयकर कार्ड, जोगेन्द्र का वोटर कार्ड, कार खरीदी बिल और कार का बीमा पत्रक जप्त होना प्रमाणित है। यह सभी दस्तावेज अपने आप में ही पहचान वाले दस्तावेज हैं, जिन्हें पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्थात् वोटर कार्ड आदि पहचान पत्र के रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं कार खरीदी बिल और बीमा पत्रक भी सोनपाल सिंह कुशवाह अर्थात् उमेश के पिता के नाम से हैं तो उसे भी किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है तो निश्चित है कि पुष्पेन्द्र से जो पर्स जप्त हुआ है। उसमें ड्रायविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित मिले हैं। जो कि उमेश का है और रजिस्ट्रेशन सोनपाल सिंह कुशवाह के नाम से है। तब निश्चित है कि उक्त काले रंग का पर्स उमेश का ही है।

37. यद्यपि इस संबंध में उमेश अ0सा0-10 एवं जोगेन्द्र अ0सा0-11 के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया जा रहा है परंतु अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य है उससे यह प्रकट हो जाता है कि उक्त सामग्री उमेश व जोगेन्द्र एवं सोनपाल की है तथा पर्स उमेश का है और पर्स को प्र0पी0-32 के ही शिनाख्ती मेमो से उमेश व जोगेन्द्र द्वारा पहचाना गया था, क्योंकि उक्त पर्स में उमेश का ड्रायविंग लाइसेंस एवं सोनपाल

सिंह का उक्त अर्टिगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था। इस प्रकार अर्टिगा कार, उसके इंजन नंबर और चैसिस नंबर के आधार पर वही कार है, जो अभियुक्तगण के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत से जप्त की गई है और उक्त कार उमेश के पिता सोनपाल सिंह की है, जो घटना के समय उमेश के पास थी, जिसके संबंध में रामबाबू सिंह यादव अ0सा0-18 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-08 में यह बताया है कि प्र0पी0-20 के जप्तीपत्रक की कार्यवाही के समय जप्तशुदा गाड़ी की नंबर प्लेट यू.पी.-79-एच-3785 लिखा था। यह भी बताया है कि उक्त वाहन के इंजन नंबर और चैसिस नंबर के आधार पर मोबाइल से इंटरनेट पर डालकर उक्त जप्तशुदा वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी.-30-सी-2384 ज्ञात किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट और प्रमाणित होता है कि लूट की गई सामग्री और सामान वही है जो अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त किया गया है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-04:-

38. जहां तक उक्त लूट अभियुक्तगण के द्वारा कारित किए जाने का प्रश्न है, उमेश अ0सा0-10 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह बताया है कि जो व्यक्ति उसकी गाड़ी किराए से लेकर उसके साथ औरैया और इटावा गया था, उसे सामने आने पर पहचान सकता है। पैरा-06 में पुष्पेन्द्र के शिनाख्ती पंचनामे प्र0पी0-23, भूपेन्द्र के शिनाख्ती पंचनामे प्र0पी0-24 एवं राहुल उर्फ कबूतरे के शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी0-25 के संबंध में शिनाख्ती कार्यवाही होने से इन्कार किया है और पुलिस के द्वारा थाने पर हस्ताक्षर करा लेना बताया है। न्यायालय में भी अभियुक्तगण को नहीं पहचाना है। पैरा-09 में इस तथ्य से इन्कार किया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण ने ही उसकी गाड़ी तथा उसका व जोगेन्द्र सिंह का मोबाइल लूटा था। प्र0पी0-33 के छायाचित्र पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। परंतु अभियुक्तगण को पहचाना नहीं है। जिस पर पुलिस के द्वारा थाने पर हस्ताक्षर करा लेना बताया है।

39. इसी प्रकार जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने अभियुक्तगण को नहीं पहचाना है और शिनाख्ती कार्यवाही से इन्कार किया है। प्र0पी0-23 लगायत प्र0पी0-25 एवं प्र0पी0-33 पर पुलिस के द्वारा थाने पर हस्ताक्षर करा लेना बताया है। वहीं श्रीमती बंदना बघेल अ0सा0-05 ने दिनांक 24.04.15 को इस प्रकार अभियुक्त पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र एवं राहुल की शिनाख्ती कार्यवाही उपजेल गोहद में उनके द्वारा कराई जाना तथा उमेश और जोगेन्द्र के द्वारा इन दोनों अभियुक्तगण के सिर पर हाथ रखकर सही पहचानना तथा उनका शिनाख्ती मेमो प्र0पी0-23 लगायत प्र0पी0-25 बनाया जाना बताया है। परंतु वहीं उमेश अ0सा0-10 एवं जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने कोई कार्यवाही नहीं करना बताया है। अतः ऐसी

स्थिति में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में शिनाख्ती कार्यवाही हुई थी या नहीं और अभियुक्तगण को पहचाना गया अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में प्र0पी0-23 लगायत 25 के आधार पर अभियुक्तगण की शिनाख्ती या पहचान होना प्रमाणित नहीं होती है और वैसे भी उमेश अ0सा0-10 एवं जोगेन्द्र अ0सा0-11 ने न्यायालय में अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र एवं राहुल उर्फ कबूतरे को नहीं पहचाना है।

40. प्रमोद अ0सा0-02 एवं अनुज कुमार अ0सा0-03 ने यह बताया है कि प्रमोद की करहाल चौराहा सिरसा गंज जिला फिरोजाबाद में फोटो स्टेट की दुकान है। जिसमें अनुज कुमार, प्रमोद का सहयोग करने के लिए बैठता है। प्रमोद कुमार अनुज का चाचा है। दोनों साक्षियों ने यह बताया है कि दिनांक 24.03.15 को वे उक्त दुकान पर बैठे थे तो गोहद चौराहे के कुछ पुलिस वाले और एक गाड़ी वाले जो अपना नाम उमेश बता रहा था तथा उनके साथ दो-तीन आदमी और थे उक्त दुकान पर आए और गाड़ी लूटने वाले बदमाशों के बारे में बातचीत कर रहे थे, तब प्रमोद ने कहा था कि गाड़ी लूटने वाले तीन बदमाश उनके यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जिनकी फोटो अखबार में छपी है। वह अखबार प्रमोद ने पुलिस वालों को दिया था।

41. प्रमोद अ0सा0-02 एवं अनुज कुमार अ0सा0-03 दोनों ने यह भी बताया है कि पुलिस वालों ने फरियादी उमेश को अखबार दिखा कर पूछा कि इस अखबार में जिन बदमाशों को फोटो छपे है, उनमें से उमेश की गाड़ी लूटने वाले कोई बदमाश हैं, क्या ? तो फरियादी उमेश ने अखबार में छपे बदमाशों में से तीन बदमाशों को पहचानते हुए कहा था कि इन तीन लोगों ने गाड़ी की लूट की है। उक्त अमर उजाला अखबार दिनांक 25.03.15 का होना बताया है। जिसकी कटिंग आर्टिकल ए होना बताई है और यह बताया है कि उसके संबंध में पुलिस ने पंचनामा बनाया था, जो प्र0पी0-21 है। परंतु प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे पुलिस वाले सिरसागंज थाने में बुलाकर ले गए थे और वहीं पर प्र0पी0-21 की लिखापढ़ी की थी।

42. आर्टिकल ए का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 23.03.15 छपी हुई नहीं है। अपितु उस पर दिनांक 25.03.15 हाथ से लिखी गई है। यह भी स्पष्ट है कि आर्टिकल ए में जो फोटो है वह बहुत छोटे-छोटे हैं, उससे कोई भी व्यक्ति पहचान में नहीं आ रहा है। प्र0पी0-21 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पंचनामा पहचान दिनांक 24.03.15 को बनाया जाना दर्शित किया गया है। परंतु यह पूरी तरह से असंभव है कि दिनांक 24.03.15 को अमर उजाला अखबार या किसी भी अखबार के दिनांक 25.03.15 के संस्करण की प्रति प्राप्त हो गई हो क्योंकि भविष्य के अखबार की छपाई वाली प्रति प्राप्त ही नहीं हो सकती। इंटरनेट के माध्यम से दिनांक 25.03.15 की रात्रि में अपलोड की हुई प्रति अवश्य देखी जा सकती है। परंतु एक दिन पूर्व दिन में

छपाई वाली प्रति कतई प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार अभियुक्तगण की पहचान ही निश्चित नहीं हो पाई है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त लूट अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र और राहुल उर्फ कबूतरे द्वारा कारित की गई। जहां तक कि शैलेन्द्र और लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत के द्वारा लूट कारित करने का प्रश्न है, इस संबंध में उनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। शैलेन्द्र और लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत के द्वारा लूट के लिए किसी षड़यंत्र की भी कोई साक्ष्य नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 05:-

43. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र के अधिपत्य से उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक 32 बोर की पिस्टल, दो जिंदा राउण्ड जप्त किया गया है। अभियुक्त पुष्पेन्द्र की ओर से प्रतिपरीक्षण में पैरा-20 में यह सुझाव दिया गया है कि पुष्पेन्द्र ने ए.एस. तोमर अ0सा0-15 को प्र0पी0-09, 11 एवं 14 के मेमोरेण्डम नहीं दिए, उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर कोई वस्तु बरामद नहीं हुई, जिससे कि इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। पैरा-21 में यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र से आर्टिकल बी की पिस्टल बरामद नहीं हुई। आर्टिकल सी एवं आर्टिकल डी के 32 बोर के कारतूस के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। ए.एस. तोमर अ0सा0-15 ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र से आर्टिकल बी की पिस्टल बरामद हुई। उक्त पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस विधिवत् न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। जिसे आर्टिकल बी, सी एवं डी से भी चिन्हित भी किया गया है।
44. राजकिशोर सिंह अ0सा0-04 ने दिनांक 30.04.15 को पुलिस लाइन भिण्ड में आर्म्स मुहर्रर के पद पर पदस्थ होना बताते हुए, अपराध क्रमांक 42/15 अर्थात् इस प्रकरण में जप्तशुदा एक 32 बोर पिस्टल एवं दो 32 बोर के जिंदा कारतूस सफेद कपड़े में सीलबंद चपड़ी लगे हुए जांच हेतु प्राप्त होना बताया है। यह भी बताया है कि पिस्टल का एक्शन चैक किया, जिसका एक्शन सही पाया गया है, जो चालू हालत में होकर उससे फायर किया जा सकता है, 32 बोर के दोनों कारतूस चालू हालत में थे, जिनके पैदी में 7.65 के.एफ. लिखा था, जिनसे फायर किया जा सकता था। यह भी बताया है कि बाद जांच उक्त पिस्टल व कारतूस को उसी कपड़े में सीलबंद नमूना की पर्ची चस्पा कर संबंधित सैनिक को वापिस किया गया था। जिनकी जांच रिपोर्ट प्र0पी0-22 है। प्रतिपरीक्षण में उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि उसने बिना पिस्टल व कारतूस देखे केवल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की थी। उसने यह बताया है कि उसने पिस्टल व कारतूस को खाली चलाकर देखा था, उसी आधार पर यह बता रहा है कि उसका एक्शन चालू होकर फायर हो सकता था। अन्य

कोई तथ्य उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं आए हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि इस प्रकरण में जप्तशुदा उक्त पिस्टल एवं दो 32 बोर के जिंदा कारतूस फायर किए जाने योग्य है।

45. महेन्द्र सिंह अ0सा0-07 ने दिनांक 07.05.15 को डी.एम. कार्यालय भिण्ड में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ होना बताते हुए यह बताया है कि थाना गोहद चौराहे के सैनिक हमीर सिंह थाने के अपराध क्रमांक 42/15 से संबंधित केस डायरी एवं अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश से एक पिस्टल 32 बोर और दो जिंदा कारतूस 32 बोर के जप्त किए गए थे। जो डी.एम. महोदय के समक्ष पेश किए गए थे। साथ ही उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। डी.एम. महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन व केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत उक्त अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह के पास शस्त्र रखने का कोई वैध लाइसेंस न होने से अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जो प्र0पी0-26 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय के हस्ताक्षर हैं और बी से बी भाग पर इस साक्षी के लघु हस्ताक्षर हैं। उसने यह भी बताया है कि उसके डी.एम. महोदय के अधीनस्थ कार्य किया है। इसलिए उनके हस्ताक्षर पहचानता है।

46. महेन्द्र सिंह अ0सा0-07 ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा स्वविवेक का प्रयोग न करते हुए अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार पुष्पेन्द्र की ओर से ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक कि स्वविवेक का प्रश्न है, महेन्द्र सिंह अ0सा0-07 ने यह बताया है कि उक्त 32 बोर की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस पुलिस, अधीक्षक का प्रतिवेदन एवं केस डायरी आदि का अवलोकन करने के उपरांत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रकार तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा विधिवत् अभियोजन स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रकट होता है जिसकी पुष्टि प्र0पी0-26 से होती है। इस प्रकार आयुध अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि दिनांक 16.04.15 को अभियुक्त पुष्पेन्द्र के द्वारा 32 बोर की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखे गए जो कि फायर किए जाने योग्य थे।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 06 दोषसिद्धि एवं दण्डादेश:-

47. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र उर्फ अमित, राहुल उर्फ कबूतरे, शैलेन्द्र एवं लाला उर्फ अभिजीत उर्फ अवजीत के द्वारा दिनांक 02.03.15 को दिन में लगभग 11:00 बजे

फरियादी उमेश की दुकान के सामने अंतर्गत थाना गोहद चौराहा भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावशील रहते हुए, फरियादी उमेश एवं जोगेन्द्र के आधिपत्य से मारुती अर्टिगा कार क्रमांक एम.पी.-30-सी-2384 एवं मोबाइल, पर्स, आयकर कार्ड, वोटरकार्ड, एवं रजिस्ट्रेशन आदि की लूट कारित की गई।

48. फलस्वरूप अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र उर्फ अमित, राहुल उर्फ कबूतरे, शैलेन्द्र एवं लाला उर्फ अभिजीत उर्फ अवजीत को भा0दं0सं0 की धारा-392 सहपठित 397 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
49. परंतु उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित है कि उक्त सामग्री जिसकी लूट फरियादी उमेश व जोगेन्द्र से की गई है, उक्त सामग्री अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त की गई है। अर्थात् अभियुक्त पुष्पेन्द्र से उमेश का पर्स काले रंग का जिसमें उमेश का ड्रायविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है, भूपेन्द्र उर्फ अमित से उमेश व जोगेन्द्र का आयकर कार्ड, राहुल उर्फ कबूतरे से जोगेन्द्र का वोटर कार्ड, एवं अभियुक्त लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत के आधिपत्य से अर्टिगा कार जप्त की गई है। अभिलेख पर ऐसी सामग्री या साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त सामग्री और उक्त कार आदि लूट या डकैती की होना जानते हुए प्राप्त की गई है। ऐसी साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्तगण ने यह विश्वास करने का कारण रखते हुए या यह जानते हुए कि वह सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की गई है जो डाकूओं की टोली का सदस्य रहा हो।
50. अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि उक्त सामग्री अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त हुई है। उक्त सम्पत्ति **“चुराई हुई सम्पत्ति”** के रूप में है और अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त होने से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने उक्त सम्पत्ति यह जानते हुए या विश्वास का कारण रखते हुए कि वह **“चुराई हुई सम्पत्ति”** है, बेईमानी से प्राप्त किया या रखा। इस प्रकार अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र उर्फ अमित, राहुल उर्फ कबूतरे एवं लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत के विरुद्ध चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने का अपराध प्रमाणित होता है अर्थात् उनके द्वारा वह सम्पत्ति बेईमानी से प्राप्त की गई है, जिसकी लूट हुई थी।
51. फलस्वरूप अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र उर्फ अमित, राहुल उर्फ कबूतरे एवं लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत को भा0दं0सं0 की धारा-411 सहपठित 11 एवं 13 म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।
52. अभियोजन अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र ने दिनांक 16.

04.15 को 32 बोर की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस बिना वैध लाइसेंस के अपने आधिपत्य में रखे। फलस्वरूप अभियुक्त पुष्पेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

53. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र उर्फ अमित, राहुल उर्फ कबूतरे एवं लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है, जबकि राज्य की ओर से विरोध किया गया है कि अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र में हुई लूट की संपत्ति अर्थात् चुराई हुई संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त किया है। परिवीक्षा का लाभ न दिये जाने की प्रार्थना की गयी है। परिवीक्षा के संबंध में उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि इस मामले में जो लूट हुई है, वह पहले योजना बद्ध तरीके से अर्टिगा वाहन किराए से ले जाने का बहाना करके की गई है। यद्यपि अभियुक्तगण के द्वारा लूट करना प्रमाणित नहीं हुआ है। परंतु उक्त लूट में लूटी हुई संपत्ति अभियुक्तगण के आधिपत्य से जब्त हुई है। वर्तमान में अभियुक्त पुष्पेन्द्र की आयु 34 वर्ष, भूपेन्द्र उर्फ अमित सिंह बैस की आयु 35 वर्ष, राहुल वर्मा उर्फ कबूतरे की आयु 25 वर्ष एवं लाला उर्फ अभिजीत उर्फ अवजीत की आयु वर्तमान में 25 वर्ष है। घटना के समय आयु क्रमशः लगभग 32, 33, 23, 23 वर्ष की आयु रही होगी। मामले की इन संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया। यह निर्णय लेखन दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

मोहम्मद अजहर

विशेष न्यायाधीश डकैती

गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च:

54. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस. यादव को सुना गया तथा राज्य की ओर से श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। राज्य की ओर से कठोरतम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है। अभियुक्तगण की ओर से व्यक्त किया है कि वह गरीब व्यक्ति हैं और लंबे समय से अभियोजन का सामना कर रहे हैं। उन पर अपने परिवार की देखरेख का दायित्व भी है, उक्त आधारों पर न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि से ही दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है।
55. प्रकरण की उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों तथा उभयपक्ष के मामले एवं उनकी संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया गया। इस मामले दिन दहाड़े अर्टिगा कार, पर्स आदि की लूट कारित की गई है। लूट की

संपत्ति अर्थात् चुराई हुई संपत्ति अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त हुई है। अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य प्रकरण भी हैं। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए अभियुक्तगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

56. फलस्वरूप अभियुक्तगण पुष्पेन्द्र, भूपेन्द्र उर्फ अमित, राहुल उर्फ कबूतरे एवं लाला उर्फ अवजीत उर्फ अभिजीत को भा0द0सं0 की धारा-411 सहपठित धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत के तहत **तीन वर्ष-तीन वर्ष** के कठिन कारावास एवं **3,000/-3,000/-(तीन हजार)** रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः-छः माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
57. अभियुक्त पुष्पेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी)(ए) के तहत **तीन वर्ष** के कठिन कारावास तथा **3,000/-(तीन हजार)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
58. अभियुक्त पुष्पेन्द्र को दिनांक 15.04.15 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक-27.08.16 को उसकी जमानत स्वीकार होकर उसे रिहा किया गया था। अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ अमित को दिनांक 15.04.15 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक-12.09.16 को उसकी जमानत स्वीकार होकर उसे रिहा किया गया था। अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे को दिनांक 15.04.15 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक-27.08.16 को उसकी जमानत स्वीकार होकर उसे रिहा किया गया था। अभियुक्त लाला उर्फ अभिजीत उर्फ अवजीत को दिनांक 23.11.15 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक-05.08.16 को उसकी जमानत स्वीकार होकर उसे रिहा किया गया था।
59. इस प्रकार अभियुक्त पुष्पेन्द्र एक वर्ष 135 दिवस, अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ अमित एक वर्ष 151 दिवस, अभियुक्त राहुल उर्फ कबूतरे एक वर्ष 135 दिवस एवं अभियुक्त लाला उर्फ अभिजीत उर्फ अवजीत 257 दिवस न्यायिक निरोध में रहे हैं। उनके द्वारा न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि समायोजित की जावे। न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाणपत्र संलग्न किए जावे।
60. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का अंतिम निराकरण फरार अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह यादव के निर्णय के समय किया जाएगा।
61. अभियुक्त को धारा-363(ए) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निर्णय की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे।
62. निर्णय की प्रति धारा-365 द.प्र.सं. के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

63. प्रकरण में सहअभियुक्त शैलेन्द्र को दिनांक 22.01.18 को फरार घोषित कर उसका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अतः प्रकरण का मूल अभिलेख नष्ट नहीं किया जावे, सुरक्षित रखा जावे। ऐसी टीप प्रकरण मुखपृष्ठ पर लगाई जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)